अध्याय 18-अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिये संकल्प.

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिये संकल्प की सूचना.

145. (1) कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 179 के खण्ड (ग) के अधीन किसी संकल्प की सूचना देना चाहे वह उसे लिखित रूप में सचिव को देगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये किसी दिन की कार्य-सूची में संबंधित सदस्य के नाम में दर्ज कर दिया जायेगा, परन्तु इस तरह निश्चित किया गया दिन संकल्प की सूचना प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन बाद का कोई दिन होगा.

संकल्प को लेने के लिये सभा की अनुमति.

146. (1) संविधान के अनुच्छेद 181 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब नियम 145 के उपनियम (2) के अधीन कोई प्रस्ताव विचार के लिये लिया जाये तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा.

(2) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो, वह सिवाय उस दशा में जब कि वह उसे वापस लेना चाहता हो, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये पुकारे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा किन्तु इस प्रक्रम पर किसी भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी.

(3) उसके बाद, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति प्रस्ताव को सभा के सामने रखेगा और उन सदस्यों से, जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों में खड़े होने के लिये प्रार्थना करेगा यदि तद्नुसार समस्त सदस्यों की संख्या में से कम से कम दशांश सदस्य खड़े हो जायें, तो यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति कहेगा कि अनुमति दी गई है और यह कि संकल्प किसी ऐसे दिन लिया जायेगा, जो वह नियत करे और जो अनुमति मांगने के दिन से दस दिन से अधिक बाद की न हो, यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है.

नियत दिन की कार्य-सूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना.

147. संकल्प नियत दिन की कार्य-सूची में विचार के लिये सम्मिलित किया जायेगा.

भाषणों के लिये समय-सीमा.

148. किसी संकल्प पर भाषण की अवधि, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी :

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय इतने अधिक समय तक भाषण दे सकेगा जितने कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति अनुज्ञा दे.